

कार्यालय : अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

केस न० : 08/24-25.

श्यामफूल देवी पति धनेश्वर गंडु,
नावाडीह (अहरी)

—बनाम—
नेमधारी गंडु पिता कैलु सिंह वगैरह
नावाडीह (अहरी)

केस का प्रकार— विविध वाद संबंधित अभिलेख

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
14.05.24.	<p>आवेदिका श्यामफूल देवी पति धनेश्वर गंडु, नावाडीह (अहरी) थाना—चौपारण ने अपनी खतियानी भूमि पर बाजबरन मकान निर्माण एवं जोत—कोड़ करने के संबंध में आवेदन दिया है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक से आवेदन में वर्णित भूमि के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 25.06.24. को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, चौपारण</p>	
25.06.24.	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त, अभिलेख दिनांक 05.07.24. को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, चौपारण</p>	
05.07.24.	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त, उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 15.07.24. को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, चौपारण</p>	
15.07.24.	<p>अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 26.07.24. को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, चौपारण</p>	
26.07.24.	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 23.08.24. को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, चौपारण</p>	

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
23.08.24	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 16.09.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
16.09.24	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 15.10.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
15.10.24	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 20.11.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
20.11.24	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 24.12.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
24.12.24	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित, द्वितीय पक्ष नेमधारी गंजु की पत्नी उपस्थित, द्वितीय पक्ष को भूमि प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अभिलेख दिनांक 17.01.25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
17.01.25	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 07.02.25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
07.02.25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 14.02.25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
14.02.25	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 25.02.25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	

आदेश पत्रक

अभ्युक्ति

25.02.25

अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 04.03.25 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
चौपारण

04.03.25

अभिलेख उपस्थापित, उभय पक्ष उपस्थित, पक्षों द्वारा भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया, राजस्व उप निरीक्षक से दस्तावेज जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, अभिलेख दिनांक 20.03.25 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
चौपारण

20.03.25

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित, राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उनके द्वारा समर्पित किया गया प्रतिवेदन इस प्रकार हैं :-

(1) सर्वे खतियान के अनुसार - ग्राम अहरी के खाता सं0-60 रैयती खाते की भूमि हैं, हल्का कार्यालय में सर्वे खतियान जीर्ण-शीर्ण रहने के कारण दिये गये सर्वे खतियान के अनुसार खाता सं0-60 के अंतर्गत प्लॉट सं0-369 रकबा 0.08 ए0 व प्लॉट सं0-389 रकबा 1.19 ए0 व प्लॉट सं0-399 रकबा 0.88 ए0 व प्लॉट सं0-542 रकबा 1.08 ए0 व प्लॉट सं0-556 रकबा 0.05 ए0 व प्लॉट सं0-557 रकबा 0.86 ए0 तथा प्लॉट सं0-558 कुल प्लॉट की सं0-7, कुल रकबा 4.76 ए0 जो भुवन सिंह सिंह वल्द चेतन सिंह के नाम से दर्ज हैं।

(2) चालु पंजी 2 के अनुसार - पृष्ठ सं0-76/1 पर खाता सं0-60/2 कुल रकबा 2.60 ए0 की जमाबंदी डोमन सिंह, भौर सिंह पेशरान शन्नी सिंह के नाम से कायम हैं। जिसका लगान रसीद वर्ष 1988-1989 तक निर्गत दर्ज हैं।

पृष्ठ सं0-75/1 पर खाता सं0-60/1 कुल रकबा 1.59½ ए0 की जमाबंदी रामसरन सिंह पेशरान विसुनधारी सिंह के नाम से दर्ज हैं। जिसका लगान रसीद वर्ष 2010-2011 तक निर्गत दर्ज हैं।

(3) स्थल जाँच के अनुसार - संबंधित भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण कार्य किया जा रहा हैं जिसमें प्रथम पक्ष अपना घरेलु बंटवारा के अनुसार संबंधित भूमि को अपना बताते हैं दोनों पक्षों के द्वारा खाता सं0-60 का ही खतियान दिया गया हैं लेकिन पक्षों का अलग-अलग रसीद निर्गत दर्ज हैं।

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अनुसार मामला स्वत्व से संबंधित हैं जिसका निर्धारण इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता हैं।

अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, वाद की कार्यवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती हैं।

लेखापित व शुद्धित

अंचल अधिकारी,
चौपारण

अंचल अधिकारी,
चौपारण